

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक

19 JAN 2024

::आज्ञा::


विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	विश्वजीत सिंह तंवर कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2022
2.	पलाश बबलानी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय अजमेर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2022
3.	जगजीत वशिष्ठ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2022
4.	विजय कुमार दायमा कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर 2023
5.	विजयंत प्रताप सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1- Madhya Pradesh Civil Judge Junior Division-2022 2- Jharkhand Civil Judge Junior Division-2023 3- Delhi Judicial Services Examination 2023
6.	प्रिती चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	वणिज्य कर विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर	RPSC Assistant Professor Exam-2023
7.	मोहन सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद अतवर	Haryana Public Service Commission

शर्त:-


1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आशुतोष कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव